

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2728  
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन

2728. श्रीमती मंजू शर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के अनेक संगठनों ने समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन हेतु अनुमोदन मांगा है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): जी, हाँ। इसका विवरण और सरकार की भूमिका नीचे दी गई है:

संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा सहित स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और संचालन करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेवारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर व्यापक नीतियाँ, सलाह और दिशानिर्देश तैयार करना सुगम बनाता है और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करता है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं के आधार पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं और न कि परियोजना-वार। इसके बाद राज्य सरकारों द्वारा राज्य कार्य योजना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/नगरपालिकाओं को निधियाँ जारी की जाती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एमआईएस पोर्टल पर मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 17,600 टीपीडी की क्षमता वाले लगभग 14 अपशिष्ट से विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य-वार क्रियाशील और निर्माणाधीन अपशिष्ट से विद्युत संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

इन संयंत्रों की स्थापना और प्रचालन की स्वीकृति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी द्वारा प्रदान की जाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 6 एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत परियोजनाओं में सहयोग किया है। ये परियोजनाएं भी अनुलग्नक-क में दी गई सूची में शामिल हैं।

‘अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2728 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यवार चालू, निर्माणाधीन और नियोजित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र:

क. क्रियाशील अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	शहर का नाम	डिजाइन क्षमता (टीपीडी)	विद्युत उत्पादन (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1200	15
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	1200	15
3	दिल्ली	गाजीपुर	1300	12
4	दिल्ली	नरेला-बवाना	2400	24
5	दिल्ली	ओखला	2000	21
6	दिल्ली	तेहखंड	2000	20
7	हरियाणा	सोनीपत क्लस्टर	800	8
8	मध्य प्रदेश	जबलपुर	600	11
9	तेलंगाना	हैदराबाद	2000	20
10	महाराष्ट्र	पीसीएमसी	700	14
11	गुजरात	जामनगर	650	7.5
12	मध्य प्रदेश	रीवा	350	6
13	तेलंगाना	हैदराबाद	1400	14
14	गुजरात	अहमदाबाद	1000	15
कुल			17,600	202

ख. निर्माणाधीन अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	शहर का नाम	एमएसडब्ल्यू (टीपीडी)	क्षमता (मेगावाट)
1	गुजरात	अहमदाबाद	1000	15
2	गुजरात	राजकोट	1000	15
3	गुजरात	वडोदरा	1000	15
4	कर्नाटक	बेंगलुरु	600	12
5	महाराष्ट्र	मुंबई	600	5
6	महाराष्ट्र	पुणे	750	13
7	तेलंगाना	हैदराबाद	1200	24
कुल			6,150	99

\*\*\*\*\*